सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 अप्रील, 2017

षोडश विधान सभा — सोमवार,तिथि 24 अप्रील, 2017 ई0

पंचम सत्र — 04 वैशाख, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय सदस्यगण, षोडश विधान सभा का पंचम सत्र दिनांक 23 फरवरी, 2017 से आरंभ होकर दिनांक 31 मार्च, 2017 को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ था । इस बीच सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विधायी-कार्यों के निष्पादन हेतु सदन का उपवेशन बुलाने का अनुरोध प्राप्त हुआ । इसी परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 24 अप्रील, 2017 को सदन का यह उपवेशन आहूत है ।

विदित है कि भारतीय कर-प्रणाली में सुधार हेतु संविधान का 122वां संशोधन विधेयक, 2014 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था । साथ ही आपको स्मरण होगा कि इस सदन द्वारा भी उक्त संविधान संशोधन का सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया था । इससे संबंधित “बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017” सहित चार अन्य विधेयकों का व्यवस्थापन इस उपवेशन में किया जाना है । आशा है सदन के कार्य निष्पादन में आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार माल और सेवा कर विधेयक,2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री,वाणिज्यकर विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

‘‘बिहार माल और सेवा कर विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ’’

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

‘‘बिहार माल और सेवा कर विधेयक,2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । ’’

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 से 174 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 से 174 तक इस विधेयक का अंग बने । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 से 174 तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य ?

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाणिज्य-कर विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी के द्वारा ''बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017'' स्वीकृति के लिए लाया गया है । महोदय, आज का दिन सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है । ऐसा विधेयक पेश किया गया है, जो कर प्रणाली में आजादी के बाद का सबसे बड़ा कदम है । आदरणीय अटल जी की सरकार में इसकी शुरूआत 2000 में की गई थी और तब से लगातार प्रयास किये गये लेकिन जैसे हाल ही में 2014 में केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनी, इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया और उसके अच्छे परिणाम आये हैं । महोदय, जब जी0एस0टी0 बिल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, काफी कठिन चुनौती थी महोदय । मैं बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ इस बिल के पास होने के लिए । इससे देश के कानून में कर-प्रणाली में एकरूपता आयेगी और साथ ही महोदय अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का भी इसमें प्रयास हुआ और इन्होंने आगे बढ़कर के बिहार में इसकी स्वीकृति मिली है । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियों के लोगों ने लम्बे विचार-विमर्श के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा से यह पारित हुआ । 16 अगस्त, 2016 को इस सदन में ऐतिहासिक संविधान संशोधन पास किया गया था जिसके फलस्वरूप संसद में अभी हाल ही में जी0एस0टी0 संबंधित चारों विधेयक पास किये गये हैं और आज राज्य संबंधित विधेयक पर सदन विचार कर रहा है।

यह वह विधेयक है जिसका मॉडल जी0एस0टी0 कौंसिल ने तैयार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 01 जुलाई, 2017 से केन्द्र का जो प्रयास है, यह जो जी0एस0टी0 बिल है, यह जी0एस0टी0 कानून देश में लागू हो जायेगा और एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार की परिकल्पना जाकर साकार होगी । महोदय, इसके कई फायदे हैं - पहला कि कर वसूली में बढ़ोत्तरी होगी, दूसरा देश के जी0डी0पी0 में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का अनुमान एक्सपर्ट लोग लगा रहे हैं, तीसरा उद्योग में लगे लोगों को इससे आसानी होगी ।

हम तो आप सब लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूरे सदन ने एक स्वर से इसे पारित किया है, माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं और आप भी बधाई के पात्र हैं । महोदय, तीसरा, उद्योग में लगे लोगों को आसानी होगी, चौथा, माल ले आने ले जाने पर चेक पोस्ट पर जो विलम्ब होता था, उसमें कमी आयेगी । महोदय, इससे निवेश बढ़ेगा, महंगाई पर नियंत्रण होगा, रोजगार का अवसर बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी

आयेगी । विशेषकर बिहार जो अपना राज्य है, बिहार जैसे राज्य को जहां उत्पादन कम होता है, खपत ज्यादा होती है, वहां पर विशेष लाभ होगा । क्योंकि यह टैक्स खपत वाली जगह पर लगेगा । उससे जिन राज्यों को नुकसान होने की संभावना है, उनकी भरपाई के लिए केन्द्र ने कानून बनाया है, इन्टीग्रेटेड जी0एस0टी0 पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त कर लगाकर उन्हें देने का प्रावधान किया गया है । माननीय प्रधानमंत्री जी का इस दूरदर्शिता का मैं स्वागत करता हूँ ।

पेट्रोलियम पदार्थों पर अभी जी0एस0टी0 लागू नहीं होगा लेकिन जो कानून में प्रावधान है, बाद में इसको जी0एस0टी0 कौंसिल जब चाहे, तब इसको जी0एस0टी0 के दायरे में लाया जा सकता है । उम्मीद है कि महोदय, आने वाले वर्षों में पेट्रोलियम भी जी0एस0टी0 के दायरे में आ जायेगा ।

एक बात महोदय और कहना चाहूँगा कि अभी से लेकर 1 जुलाई तक करीब दो महीना का समय बच रहा है । इस बीच संबंधित लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाना है, यह कठिन कार्य है । इसमें राज्य सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ताकि व्यवसायियों को कठिनाई नहीं हो ।

..... क्रमशः .....

टर्न-2/अंजनी/दि0 24.04.2017

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल...क्रमशः....... राज्य के व्यवसायियों को प्रशिक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए । यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो, यह मेरी शुभकामना है । माननीय प्रधानमंत्री जी का नव भारत के निर्माण का जो आह्वान है, उसमें यह विधेयक सहायक होगा, यह मेरा विश्वास है । यह विधेयक नोटबंदी के प्रयास के बाद आया है । नोटबंदी से जनता खास करके गरीबों के मन में विश्वास जगा है कि नया भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा और गरीबों के प्रति समर्पित होगा । इसकी अगली कड़ी के रूप में हम इस महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार को देखते हैं तो वह जी0एस0टी0 बिल के रूप में हमारे सामने है । इस कानून के अंतर्गत जी0एस0टी0 कॉन्सिल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है । अभी भी कौन-सी वस्तु किस टैक्स बैंड के अन्दर आयेगी, यह तय नहीं हो पाया है लेकिन यह प्रशंसा की बात है कि जी0एस0टी0 कॉन्सिल ने यह निर्णय लिया है कि खाद्य सामग्री जैसे- गेहूँ, चावल पर टैक्स नहीं लगेगा, अन्य खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा । आशा है कि इस संबंध में जो भी विवाद है, उनका निर्णय शीघ्र हो जायेगा । निश्चित रूप से उसका निर्णय शीघ्र होगा । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में यह एक ऐतिहासिक फैसला इस देश के लिए है और आनेवाले समय में इस देश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा । इससे गरीबों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है । इसमें बहुत स्पष्ट किया जा चुका है कि इसके फायदे जो

हैं, हम चाहते हैं कि विधेयक में जो प्रावधान है भारत के संघीय ढ़ांचे को ध्यान में रखते हुए जी0एस0टी0 के दो घटक केन्द्रीय जी0एस0टी0 एवं राज्य जी0एस0टी0, इसके अंतर्गत राज्य एवं केन्द्र को अपने-अपने जी0एस0टी0 विधेयक लाने होंगे । अल्कोहल को जी0एस0टी0 के दायरे से बाहर रखा गया है । तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जी0एस0टी0 के दायरे में आयेंगे । केन्द्र सरकार तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क भी लगायेगी और इसके लागू हो जाने के बाद निम्न प्रकार के करों की समाप्ति हो जायेगी । केन्द्रीय कर- सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडीशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, मेडिसिनल एवं टॉयलेट (एक्साइज ड्यूटी) एक्ट, 1955 के तहत एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीशनल कस्टम्स ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज, ये सारे-के-सारे समाप्त हो जायेंगे । महोदय, जो राज्य कर हैं वैल्यू एडेड टैक्स (वैट)/ सेल्स टैक्स, लॉटरीज, बेटिंग व गैम्बलिंग पर कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय व इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्टेट सेस व सरचार्ज, जो काफी टैक्सेज हैं, इसमें काफी सहूलियत होगी । विधेयक की जो प्रमुख विशेषता है कि वस्तु एवं सेवा कर विषय पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधायिकाओं को एक शक्ति दी गयी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे सामान्य रूप से काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे विभिन्न केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जायेंगे । राज्य वैल्यू ऐडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स से अलग) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (टैक्स केन्द्र लगाता है और संग्रह राज्य करते हैं), ऑक्टराय, इन्ट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स तथा लॉटरी, सट्टे और जुए पर टैक्स लगते हैं । संविधान के विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा समाप्त होगी । वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्य कारोबार पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रावधान होगा । महोदय, मानवीय खपत के लिए नशीली शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी0एस0टी0 लगाया जायेगा । पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर बाद की तिथि से जी0एस0टी0 लगाया जायेगा । यह तिथि वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित की जायेगी । पांच वर्षों तक राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में राजस्व नुकसान के लिए मुआवजा का प्रावधान किया जा रहा है । वस्तु और सेवा कर से संबंधित विषयों की जांच के लिए वस्तु और सेवा कर परिषद का गठन तथा टैक्स दरें, टैक्स, सेस तथा सम्मिलित अधिभार छूट सूची तथा न्यूनतम सीमा, मॉडल जी0एस0टी0 कानून आदि पर केन्द्र और राज्यों को सिफारिश, यह परिषद केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और सभी राज्य सरकारें इसके सदस्य होंगे महोदय । महोदय, अंत में कहना चाहते हैं कि वास्तव में यह जो केन्द्र का पहल है और प्रयास है, वह आने-वाले समय में इस देश के लिए और देश की अर्थ व्यवस्था को

आगे ले जाने में सहायक होगा और इससे देश का विकास होगा । जब एक कर लगेगा देश के अन्दर में तो जो टैक्सों की चोरी होती थी, वह खत्म होगा । खासकर जो कंज्यूमर क्षेत्र है, बिहार ऐसे जो राज्य हैं, उसको काफी लाभ होगा । महोदय, मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एवं सदन के सभी सदस्यों को सर्वम्मति से जी0एस0टी0 बिल पारित कराने के लिए जो सब का प्रयास है, उसके प्रति मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सदानंद बाबू ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । अध्यक्ष महोदय, जाना ही जाता है कि जी0एस0टी0 सम्पूर्ण क्षेत्र और सम्पूर्ण देश के पैमाने पर विभिन्न करों में एकरूपता लाने के लिए जो लोक सभा और राज्य सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज यह विधेयक यहां उपस्थापित है । निश्चित तौर पर इससे देश को काफी लाभ मिलने जा रहा है । समान कर प्रणाली, उपभोक्ताओं को लाभ, देश में समान राष्ट्रीय बाजार बन जायेगा । उद्योगों के ढ़ाचें में भी एकरूपता आयेगी और कारोबार का माहौल अच्छा बनेगा । उपभोक्ताओं को कर का बोझ कम लगेगा । निश्चित तौर पर जो हम देख रहे हैं, सभी फायदें हैं इसमें । उपभोक्ताओं को कम टैक्स लगेंगे और एकीकृत रूप में सम्पूर्ण देश में एक पैमाने पर टैक्स लगेगा । तो लाभ ही लाभ है । इसकी आवश्यकता तो बहुत पहले थी स्वीकृत कर देने की लेकिन लगता है कि भाजपा के हठधर्मिता के चलते वर्ष 2006 के बाद जो तत्कालीन वित्त मंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने लाया था लेकिन इन लोगों ने पास नहीं होने दिया । यों इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1993 से ही विचार-विमर्श हो रहा था और अंततः वर्ष 2006 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार श्री मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रीत्व काल के सरकार के वित्त मंत्री जी ने, यू0पी0ए0 की सरकार, यह वित्त मंत्री जी ने इसको लाया और देखा गया होगा कि वर्ष 2006 से लगातार 2014 के पूर्व तक काफी कोशिशें की गयी । वर्तमान भाजपा के लोग सेहरा जरूर ले लेते हैं लेकिन यदि इसकी स्वीकृति वर्ष 2006 में हो गयी रहती तो आज देश में 12 लाख करोड़ रूपये की राशि विकास के लिए उपलब्ध होती । यह आंकड़े हैं 12 लाख करोड़ । सिर्फ बिहार को फायदा है, जो 32 प्रतिशत इन्हें फाईनेंस कमीशन के माध्यम से केन्द्रीय अनुदान मिलती थी, वहां 42 प्रतिशत हो जाता । यानी 15-20 हजार करोड़ की अभिवृद्धि तो बिहार सरकार को ही रही है । तो इसके लिए यदि कोई दोषी है 12 लाख करोड़ की राशि जो विकास की राशि आती और देश का विकास होता, उसके लिए एक कोई पार्टी दोषी है तो वह है भारतीय जनता पार्टी । मैं यह कहना चाहता हूँ कि देर से ही आये, चलिए हमने तो सकारात्मक भूमिका देश के लिए निभायी है, की है, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ इसकी स्वीकृति के लिए

हमने रास्ता प्रशस्त किया है । अध्यक्ष महोदय, यह बिल सर्वसम्मति से पास हो, इसकी मैं अनुशंसा करता हूँ और इसके लिए कोई एक दोषी है तो वह भाजपा है कि वह इतने दिनों तक नहीं आने दिया ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बी0जे0पी0 के लोगों से हमारा आग्रह होगा कि वे प्रायश्चित करें कि वे वर्ष 2006 में क्यों नहीं पास कराये । ये लोग प्रायश्चित करें ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

टर्न-3/शंभु/24.04.17

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सच अपनी जगह पर कायम रहता है उसे हम अपने भाषणों के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा काट नहीं सकते। महोदय, आज जो देश में वातावरण है- एक गांव-गंवई, गरीब-गुरबा लोगों के विषय में सोचना उसके उन्नति के बारे में मार्ग प्रशस्त करने पर राष्ट्रीय एक सहमति बनाना एक दूर का डिस्टेंट दिखायी पड़ता है उस परिस्थिति में इस विधेयक का लाया जाना और अपना देश दो दलीय व्यवस्था से नहीं चलता मल्टीपल सोसायटी है, कल्चर है और पार्टियां भी है। सदानन्द बाबू ने जिक्र किया ठीक ही है, इतिहास इसके 10-11 साल पहले के हैं, चर्चाएं हुई बात आगे बढ़ी फिर गिरा, फिर बढ़ा, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी- हमारा गर्व है। एक कहावत है कि A Statesman Looks next generation and A Politicians looks next Election. देशहित में अकेला यह आदमी चाहे एन0डी0ए0 में रहे हों, चाहे यू0पी0ए0 का वक्त हो चाहे आज के गठबंधन का वक्त हो अदीक पत्थर की तरह, मील के पत्थर की तरह इतिहास निर्माण में खड़ा रहकर के जी0एस0टी0 के सबसे पहले समर्थन में रहे। महोदय, है क्या चीज यह- 1935 में जब हम गुलाम थे तो अपने यहां से रूई अंग्रेज ले जाते थे- याद होगा कि गांधी ने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया था उसके पीछे का क्या तथ्य था ? कच्चा माल अपने यहां से जाता था और वहां से मिरहा माल जो आता था उसके बिक्री को बढ़ाने के लिए 1935 ई0 में इस कानून का प्रावधान किया गया था- मतलब आज 82 साल के बाद इसमें हमलोग आजाद भारत में एक नया कानून बनाने जा रहे हैं, लाया गया है। इसलिए महोदय, यह एक ऐतिहासिक क्षण है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक सवालात हैं- प्रेम बाबू इतिहास है, जब मुख्यमंत्री थे तो विरोध करते थे, गुजरात विरोध में था, मध्य प्रदेश विरोध में था, छत्तीसगढ़ विरोध में था, रेकार्ड है। अब प्रेम बाबू बोल रहे थे तो बात याद आ गयी है कि एक बच्चा था तो स्कूल में पढ़ता था तो टीचर ने कहा कि आइ मतलब मैं तो बच्चा पढ़ने लगा कि आइ मने मास्टर साहब, आइ मने मास्टर साहब और जब घर पर गया तो फादर ने डांटा कि आइ मतलब मैं किसने बताया? तो कहा कि आइ मतलब पापा जी और स्कूल में गया तो फिर टीचर ने डांटा

तो कहा कि घर पर पापाजी और स्कूल में मास्टर साहब। जब उपर आये तो समझ बढ़ी, जब नीचे थे तो विरोध करते थे इसीलिए यह बहुत दिनों तक नहीं आ पाया। इसीलिए महोदय आज क्रेडिट केवल एक दल का नहीं है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी दल के नेताओं का एक्सेप्ट अन्ना डी0एम0के0 सबों ने सर्वसम्मति से इस देशहित के विधेयक को पारित करने पर एक मत हुए और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेन्ट के द्वारा जो पारित किया गया है- कभी कभी बिहार इतिहास निर्माण का काम दुनिया में करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए देश केवल हमारा और आपका नहीं है 120 करोड़ लोगों का ये देश है। निश्चित तौर से एक नयी व्यवस्था एक नयी चीजें आई है, कठिनाइयां होगी। मैं बहुत ज्यादा प्रेम बाबू की तरह इस उम्मीद से मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बिहार को बहुत ज्यादा फायदा होगा, आगे आनेवाले वक्त में और रास्ते से गुजरने होंगे लेकिन निश्चित तौर से देश को पूरा फायदा होगा और बिहार देश का ही हिस्सा है, बड़ा राज्य है इसलिए जब देश का फायदा होगा तो राज्य का भी फायदा होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। कई तरह के कम्पलीकेशन्स थे, कई एक तरह के जिगजैग रास्ते थे, नियम का भी अवरोध था, व्यापारियों को भी कठिनाइयां होती थी। पांच तरह के रेट का जिक्र किया प्रेम बाबू ने पांच तरह का रेट किया गया है, अभी तय हुआ है। उसमें कौन-कौन वस्तु आयेगी जीरो टैक्स, 5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट 28 परसेंट, लेकिन एक बात तय है कि गांव गरीब सामान्य लोगों के भोजन वसन, रहन सहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको सहूलियत दी जायेगी। यही हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का देश के किसी भी सरकार का यह दायित्व है। हां, लग्जीरियस गुड्स पर जरूर 28 परसेंट की बड़ी चर्चा आजकल मीडिया में होती है- अब 1 करोड़ से अधिक के कार पर जो चढ़ेंगे, सोने का भयंकर जेवरात खरीदेंगे तो भाई हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गरीब बच्चियों को कपड़ा दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं तो पैसा कहां से आयेगा, पैसा तो गाछ में फलता नहीं है- कहीं न कहीं से जो हैब्स वाले लोग हैं वे थोड़ा अपने रहन सहन थोड़ा अपनी जिंदगी में से थोड़ा डोनेट करेंगे, करना भी चाहिए इस देश में दान की प्रथा सम्मान का विषय है। उनपर तो ज्यादा टैक्स लगेगा इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा छोटे व्यापारियों को गरीब-गुरबा आदमी को, गांव गंवई के लोगों को इस टैक्स व्यवस्था से, इस कानून से काफी अधिक सहूलियत होगी, देश को और प्रदेश को लाभ होगा। इसलिए एक नयी शुरूआत है और जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से हमलोगों के नेता इस मामले में अधिक रहे हैं कि बिहार के लाभ का जहां सवाल आता है वहां आपके साथ भी खड़ा होने में, आपके साथ रहकर भी इन्होंने अपने वजूद का प्रयोग किया इससे सीखना चाहिए सब लोगों को यही कहकर के महोदय मैं सदन से दरखास्त करूँगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

श्री महबूब आलम : महोदय, हमलोग भी इसपर.........

अध्यक्ष : आपने वक्तव्य देने के लिए समय मांगा ही नहीं तो मैं देता कैसे ? आपने तो मांगा नहीं और अब सरकार का उत्तर हो गया तो अब समय नहीं बचता है कुछ भी कहने के लिए।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बनाया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जो सदन पटल पर लिखित दस्तावेज दे रहे हैं वह कार्यवाही का अंग बनेगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 स्वीकृत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार माल और सेवा कर विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ।

बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ।

अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ।

खंड-2 से 25 तक कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-2 से 25 तक इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-2 से 25 तक इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

टर्न-4/अशोक/24.04.2017

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय वाणिज्य कर मंत्री ने बिहार कराधान विधि(संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृति के लिए लाया है, हम सबों ने अपनी इच्छा व्यक्त कर दिया है और अभी माननीय मंत्री विजेन्द्र बाबू कह रहे थे कई बिन्दुओं पर, नोटबन्दी के सवाल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें समर्थन मिला, शराबबन्दी पर भी आप चर्चा कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हम याद कराना चाहेंगे विजेन्द्र बाबू आपको कि शराबबन्दी का प्रस्ताव जिस तरह पिछले साल आया था और हमलागें ने इस सवाल पर समर्थन दिया था, सरकार का अच्छा कदम था, सरकार जब अच्छा काम करेगी तो निश्चित तौर पर

समर्थन करेंगे जो विधयेक इन्होंने लाया है महोदय, हम चाहते हैं कि सर्वसम्मति से पारित हो ।

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य ?

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी, यह विधेयक भी उसी से संबंधित है अगर आपको बिहार माल एवं सेवा कर विधेयक के संबंध में कुछ कहना था तो बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक भी उसी से संबंधित है । केवल संक्षेप में कहियेगा ।

श्री महबूब आलम : जी.एस.टी बिल के संबंध में कहना था । कॉरपोरेट घराने को कर में छूट और आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने वाला जी.एस.टी बिल को वापस लेने की मांग करता हूँ और जी.एस.टी. बिल पर बिहार विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया । यह हमारी पार्टी की मांग थी, हमारी पार्टी की मांग थी कि चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर भूमि व आवास की समस्या पर बिहार विधान सभा का विशेष सत्र बुलाए जाय लेकिन इसमें न तो भाजपा की दिलचस्पी है न हमारे नीतीश सरकार की कोई दिलचस्पी है । हमारे पार्टी जी.एस.टी. बिल का कड़ा विरोध करती है और इसे वापस लने की मांग करती हैं, यह बिल एक तरफ कॉरपोरेट घराने को विभिन्न प्रकार के करों में भरी छूट देने वाली है, तो दूसरी तरफ आम जनता, मध्यमवर्ग और कामकाजी समुदाय पर करों का भारी बोझ लादने वाली है । इसकी वजह से पहले से ही महंगाई की मार से झेल रही जनता का जीवन और संकटग्रस्त हो जाएगा । यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा विरोधी वोट से सत्ता में आई, भाजपा विरोधी वोट से सत्ता में आई, महागठबंधन सरकार देश में पहली गैर भाजपा सरकार साबित हुई, जिसने पिछले वर्ष ही विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर इस संबंध में प्रस्ताव ले चुकी है, उस वक्त भी हमारी पार्टी ने इस बिल का कड़ा विरोध किया था और आज भी कर रही है ।

यह वर्ष चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी का वर्ष है । आप सभी जानते हैं कि आज से ठीक सौ साल पहले गांधी जी के नेतृत्व में चम्पारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था जिसमें भूमि का सवाल केंद्रीय विषय था लेकिन आज जब केंद्र सरकार सत्याग्रह शताब्दी का आयोजन कर रही है तो इसके मूल तत्व को ही समाप्त कर रही है । चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी के नाम पर नौटंकी हो रही है । गांधी को पेश करके जनता को गुमराह करने की बात हो रही है इसलिए.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महबूब जी, ज्यादा लम्बा है तो सदन पटल पर रख दीजिये ।

(परिशिष्ट- 2 द्रष्टव्य)

श्री महबूब आलम : ठीक है । इसलिए भूमि की समस्या और आवास समस्या पर बिहार में जो विशेष जो मांग है, हम माग करते हैं कि इस पर विशेष सत्र बलया जााय महोदय

और हमारे मुख्यमंत्री जो संवेदनशीलता दिखलाये और लाखों एकड़ जमीन जो चम्पारण बेतिया राज का साढ़े तीन लाख एकड़, मुजफ्फरपुर में पचास हजार एकड़, पूर्वी चम्पारण में एक लाख एकड़, पश्चिम चम्पारण में डेढ़ लाख एकड़- इस तरह से 21 लाख एकड़ जमीन जो डी. बंधोपाध्याय की भूमि सुधार आयोग जो सिफारिश की है उस सिफारिश को लागू करने की मांग को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुये अपनी बात ख्त्म करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने पहले ही जो माले के माननीय सदस्य हैं कहा कि भाई अमीरों पर लग रहा हैं जिसके खिलाफ आप है, यह आपको किसने कह दिया मैंने तो कहा कि गांव, गवई, गरीब, गंवार पर नो टैक्स, खेती पर जीरो टैक्स हैं ।

(व्यवधान)

बैठिये, बैठिये, आप सुन तो लीजिये, जवाब देना उचित नहीं था लेकिन मैंने क्लीयर कर दिया । मैं जान रहा था, अखबार में देखा तो मैंने रेफरेंस के कम में यह बात कह दिया चूंकि ये उठना चाह रहे थे और चीन और रूस में भी जी.एस.टी. हैं, माफ कीजियेगा । महोदय,...

श्री महबूब आलम : चीन की परिस्थिति अलग है और बिहार की परिस्थिति अलग है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, छः वस्तुयें हैं, पैट्रोल, डिजल, प्राकृतिक गैस, वैमानिक ईंधन, कच्चा पेट्रोलिय तेल तथा मानव उपयोग हेतु शराब जी.एस.टी. से अभी फिलहाल बाहर रखा गया है । और एक रियेल स्टेट भी हैं । उसका एक अलग मामला है । महोदय इन वस्तुओं पर जो पुराना कानून हैं उसी के विभिन्न प्रावधान और जो व्यवस्थायें हैं उसके लिए यह संशोधन लाये गये हैं यही इसका मकसद है कि यह छः वस्तुयें अभी राज्य सरकार टाईम टू टाईम अपने टैक्स को बढ़ायेगी, घटायेगी यह अधिकार सदन को रहेगा, यही इसका मुख्य मकसद है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जब जी.एस.टी. पारित हो गया तो स्वाभाविक तौर से जो वस्तुयें इनसे अलग हैं वह राज्य का अधिकार क्षेत्र बरकरार रहे यही इसका मकसद हैं इसलिए सदन से अनुरोध होगा इसे सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017" स्वीकृत हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

" बिहार कराधान विधि(संशोधन) विधेयक, 2017" स्वीकृत हुआ ।

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017"

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूॅं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय(संशोधन)विधेयक, 2017 पर विचार हो।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(।)के तहत माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : मैं मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅं कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।"

महोदय, 2012 के संशोधन से शिक्षक की श्रेणी में प्राचार्य तथा प्रयोग प्रदर्शक को सम्मलित किया गया था, फिर 2014 में उच्च न्यायालय ने शिक्षक की कोटि में मात्र प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा लेक्चरर को माना था, जिसको उच्चतम न्यायालय ने भी सम्पुष्ट किया था । क्या यह विधेयक उन निर्णयों के आलोक में लाया गया है या मात्र सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्यों को उपकृत करने के लिए लाया गया है ? प्रयोग प्रदर्शक को इसमें सम्मलित नहीं करना सरकार की इसी मंशा को दर्शाता है, महोदय, विषय यह है कि अगर सेवानिवृत्त प्राचार्य को, प्राचार्य का जो पद है वह प्रशासनिक पद माना जाता है और प्रशासनिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष निर्धारित है और इस मामले में प्रयोग प्रदर्शक को वंचित कर दिया गया और प्रोफेसर, लेक्चरर जो समुदाय है उनकी मांग हैं सेवानिवृत्त प्राचार्य को अगर इसमें शामिल किया गया तो उनकी सिनियरीटी से प्रभावित होगी और उनको यह मौका नहीं मिलेगा और साथ ही एक और प्रावधान किया गया है

कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी को कुलसचिव पद पर नियुक्ति हेतु उनका नाम अनुशंसित किया जायेगा और महोदय मेरी मांग यह है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की कुलसचिव पद पर पुन:नियुक्ति हेतु दागी पदाधिकारियों की अनुशंसा नहीं की जाय, पूरे कार्यकाल में उन पर कोई आरोप नहीं हो तथा स्वच्छ चरित्र प्रमाणित हो उनका नाम ही सरकार के द्वारा अनुशंसित किया जाय । क्रमश:

टर्न-5/ज्योति

24-4-2017 क्रमश:

श्री मिथिलेश तिवारी : उनका ही नाम सरकार द्वारा अनुशंसित किया जाय तथा जिनका अधिकांश कार्यकाल शिक्षा विभाग से संबंधित रहा हो, साथ ही जिस किसी कोटि के सेवा निवृत पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी इसको भी सरकार स्पष्ट करे जो इसमें स्पष्ट नहीं है और साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत पदाधिकारी को ही कुल सचिव के लिए अनुशंसित करने का सरकार प्रस्ताव लाती तो मुझे लगता है कि इसकी व्यापकता और होती तो अध्यक्ष महोदय, मेरी चिन्ता यह है कि क्या सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारियों के माध्यम से, उनको विश्वविद्यालयों में कुल सचिव के पद पर बिठा कर सरकार क्या विश्वविद्यालयों के स्वायतता को समाप्त करना चाहती है , सरकार क्या स्वायत संस्थान हैं विश्वविद्यालय, उसपर भी सरकार कट्रोल करना चाहती है क्या ? इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सिद्धान्त पर विचार होना आवश्यक है । इसपर सरकार को अपना जो स्टैण्ड है उसमें परिवर्तन करना चाहिए ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : जी , मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, विषय वही है, जो मैंने पहले कहा है । सरकार ने इतनी जल्दबाजी में, इस मामले को लाया है आज विशेष सत्र में और इसके पहले भी बजट सत्र में विश्वविद्यालय संशोधन पास हुआ, पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पास हुआ, क्या सरकार को उस समय यह बात ध्यान में नहीं आयी और अगर यह बात आज सरकार ने लायी है तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को थोड़ा समय लेना चाहिए और विभिन्न प्रकार के लोगों का विचार आना चाहिए इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनॉंक 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । "

इसके बाद ही सरकार इस प्रस्ताव को सरकार पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017 दिनॉंक 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । "

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अनिल सिंह : मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" विधेयक के खण्ड-2 में प्रस्तावित संशोधन के शब्द समूह "(ब) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी " शिक्षक" से अभिप्रेत है केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सह-प्राचार्य (रीडर) तथा सहायक प्राचार्य (व्याख्याता) के पद एवं " को विलोपित किया जाय । "

अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन दिया हूँ इसका उद्देश्य एकमात्र है कि देश में सभी विश्वविद्यालय यू.जी.सी. से गाईड होते हैं । उन्हीं के दिशा निर्देश पर संचालित होते हैं । यू.जी.सी. से बाहर जाकर कोई निर्णय लेने से एक विवाद उत्पन्न होगा । यू.जी.सी. द्वारा माने गए शिक्षक को मान्यता दी जा रही है तो फिर अलग से कोई प्रावधान करने का कोई औचित्य नहीं बनता इसलिए मैंने संशोधन दिया है । शिक्षक के लिए एक ही परिभाषा उपयुक्त होगी और वह यू.जी.सी. द्वारा समय समय पर निर्गत नियमों में शिक्षक की श्रेणी में स्वीकार किए गए पद हैं । मैं समझता हूँ कि यू.जी.सी. की सर्वमान्यता को मानने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । महोदय, इस संदर्भ में अभी तीस मार्च 2017 को यानी 25 दिन पूर्व ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया फिर अचानक कौन-सी ऐसी परिस्थिति बन गयी जो अभी-अभी फिर संशोधन लाने की जरुरत सरकार को पड़ी । इतनी हड़बड़ी सरकार को क्या है । कुछ व्यक्ति विशेष को उपकृत करने के लिए यह संशोधन लाया गया है । यह तो

मौनसून सत्र में भी लाया जा सकता है इसलिए महोदय, मेरा सुझाव है कि सरकार इसपर विचार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-2 में प्रस्तावित संशोधन के शब्द समूह ''(ब) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सह-प्राचार्य (रीडर) तथा सहायक प्राचार्य (व्याख्याता) के पद एवं '' को विलोपित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-3 में एक संशोधन है, क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अनिल सिंह : मूव करेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''सेवानिवृत'' के स्थान पर शब्द समूह ''अपर समाहर्त्ता के स्तर के '' तथा पांचवीं पंक्ति के शब्द समूह ''एक या एक'' के स्थान पर शब्द समूह '' दो या दो '' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है कि सेवा निवृत पदाधिकारियों से ही काम लेते रहेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी के जो बि.प्र.से. के अधिकारी है उनका क्या होगा इसलिए मैंने संशोधन दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों में जिसमें रजिस्ट्रार के पदों पर जब बिहार प्रशसनिक सेवा के पदाधिकारी को ही देना है तो सेवानिवृत नहीं बल्कि जो कंटीन्यूटी में बने हुए हैं, उनको अगर दिया जाता है तो बेहतर काम कर सकेंगे, बेहतर ढंग से वहां अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे महोदय, नये बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित करेंगे तो उनकी न सिर्फ गुणवत्ता अच्छी होगी बल्कि युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा । सेवा निवृत पदाधिकारियों से नियम की बात क्या करेंगे महोदय वह तो अपनी कुर्सी को बचाने में ही पूरा समय अपना व्यतीत करेंगे । दूसरा मैंने इसलिए कहा महोदय, एक या एक से अधिक के जगह पर मैंने दो या दो से अधिक, इसलिए दिया है महोदय ताकि स्वतंत्रता हो, अगर कोई एक ही नाम आए तो बाध्यता होगी, वहॉं पदस्थापित करना, इसलिए दो

या दो से अधिक करने से होगा कि उसमें अच्छे लोगों का चयन किया जा सकेगा इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खण्ड-3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''सेवानिवृत'' के स्थान पर शब्द समूह ''अपर समाहर्त्ता के स्तर के '' तथा पांचवीं पंक्ति के शब्द समूह ''एक या एक'' के स्थान पर शब्द समूह '' दो या दो '' प्रतिस्थापित किया जाय । ''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अब स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।

अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें ।

टर्न : 06/कृष्ण/24.04.2017

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मार्च में यह विधेयक आया था तो सरकार का कोई होम वर्क नहीं है । सरकार आनन-फानन में इस तरह का बिल लाने का काम कर रही है । हम आग्रह करेंगे कि सरकार को तैयारी से आना चाहिये । महोदय, जब हाल ही में विधेयक आया था तो उस समय इस को ले आये होते । अभी हमारे माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी और माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह जी ने जिन बातों का उल्लेख एवं चर्चा किया है, हम भी सरकार से आग्रह करेंगे । ठीक है । सरकार के पास बहुमत है । आप बिल पास करा लेंगे । लेकिन महोदय, कम से कम जनभावनाओं का भी ख्याल रखिये । आप जल्दी-जल्दी में लाते हैं, उस का उदाहरण मैं देता हूं । अभी सरकार ने बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2017 का विज्ञापन निकाला । विज्ञापन निकलने के बाद लोग आवेदन देने लगे और बीच में एक संशोधन निकला कि बी0कॉम, बी0एड0 के लोग उस में इलीजेबुल नहीं होंगे । महोदय, इस से विद्यार्थियों में बड़ा आक्रोश हुआ । विद्यार्थी हम से भी मिले । उस से 50 हजार विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे । मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सरकार समय पर बैक गियर में आयी और फिर से आप ने एक आदेश निकाला कि बी0कॉम, बी0ए0 के छात्र सम्मिलित होंगे । तो मेरा कहना है कि ऐसी आप को नौबत न आये । महोदय, आप ने देखा कि अभी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक लोक सभा में पारित हो गया, राज्य सभा में आया तो वहां पारित नहीं होने दिये और उस को प्रवर समिति में भेज दिया गया । तो यहां भी हमलोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जनमत जानने के लिये एक बार मौका दिया जाय ।

दो मिनट महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार सरकार का राज्यादेश पत्रांक 1115 दिनांक 14.06.2006 एवं पत्रांक 1456 दिनांक 01.08.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार राज्य के प्रयोगशाला प्रभारी, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला टेकनिशियन को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित किया, जिस में इन्हें शिक्षक की श्रेणी में शामिल किया गया । पुनः 27.12. 2012 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 लाया गया, जिस के प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि शिक्षा का स्तर त्रिस्तरीय होगा - प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिसटेंट प्रोफेसर इसके अतिरिक्त शिक्षेकत्तर

कर्मचारी के कोटे में प्रधानाचार्य एवं प्रयोग दर्शक को रखा गया, जिस की सेवा निवृत्ति की उम्र 62 वर्ष की होगी ।

महोदय, उपरोक्त संशोधन के उपरांत अब तक 100 से अधिक प्रयोग प्रदर्शक विगत वर्षो में 62 वर्ष की उम्र में सेवा निवृत्त हो चुके हैं । उपरोक्त संशोधित विधेयक के विरोध में प्रयोग प्रदर्शक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस के अंतरिम आदेश एवं अंतिम आदेश प्रयोग प्रदर्शक के पोस्ट-स्टैटस और सैलरी और प्रयोग प्रदर्शक के अनरूप रखने का आदेश दिया गया है । हमारा सरकार से आग्रह होगा इस विधेयक में विद्वान शिक्षाविद् माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार से मेरा आग्रह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 में माननीय प्रधानाचार्यो के साथ-साथ प्रयोग प्रदर्शकों को भी शिक्षक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाय तो संविधान के अनुच्छेद-14 में विहित प्रावधानों का पालन होगा, मेरा आग्रह होगा कि सरकार इस पर विचार करे ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : दोनों पर एक ही साथ औचित्य में बोल देंगे । एक ही तरह का दोनों बिल है । औचित्य पर एक ही साथ बोले देंगे ।

अध्यक्ष : वह तो अलग-अलग पास होता है न ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 का मूल विषय संप्रति राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को शिक्षक की परिभाषा में समाहित किये जाने तथा विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत्त अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किये जाने से संबंधित है । राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता ही शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव है । स्पष्टत: प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति शिक्षकों का अथवा न्यूनतम 10 वर्षों तक शोध कार्य के अनुभव वाले व्यक्ति की होती है । बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 के मूल स्वरूप की कंडिका 2 में शिक्षक की परिभाषा में प्रधानाचार्य भी शामिल थे परन्तु वर्ष 2012 में डिमौंस्टेटर के पद को शिक्षक की परिभाषा से अलग करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में संशोधन के समय प्रधानाचार्य को भी शिक्षक पद की परिभाषा से अलग कर दिया गया है । उक्त संशोधन से राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य के मूल चारित्रिक पहचान से ही वंचित कर दिया गया है । यदि प्रधानाचार्य शब्द का संधि-विच्छेद किया जाय तो प्रधान आचार्य होता है । अत: इन्हें शिक्षक श्रेणी से अलग किया जाना उनके साथ अन्याय किये जाने जैसा है । इस विसंगति को दूर कर उन्हें शिक्षक श्रेणी में शामिल किये जाने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 की धारा 2 में संशोधन किया जाना आवश्यक है । इस

के साथ ही उल्लेखनीय है कि संप्रति राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर नियुक्ति प्राय: शिक्षकों की ही होती है । इस से विश्वविद्यालयों को दो प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है । प्रथम - राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्राय: शिक्षकों की कमी है । शिक्षकों को कुलसचिव के पद पर नियुक्त किये जाने से विद्यार्थियों को कुछेक अनुभवी शिक्षकों से शिक्षण से वंचित होना पड़ता है । दूसरा, कुल सचिव के पद पर नियुक्त शिक्षक को यद्यपि शैक्षणिक क्रिया-कलापों का अनुभव तो होता ही है परन्तु उन में प्रशासनिक अनुभव का अभाव होता है । कुलसचिव का मूल दायित्व विश्वविद्यालय का प्रशासन संचालन ही है । वर्तमान समय में प्राय: यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक परीक्षा कैलेंडर ससमय प्रकाशित नहीं हो रहे हैं । विश्वविद्यालयों में डेटा बेस तैयार नहीं है । विश्वविद्यालयों में रिक्तियां खासकर बैकलॉग रिक्तियों का रोस्टर के अनुसार उपलब्धता आदि का अभाव है । राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से शेड्यूल्ड करने हेतु कृत-संकल्पित है । इस के लिये आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में कुल सचिव के पद पर प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय । बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को राज्य सरकार में प्रशासन का पर्याप्त अनुभव होता है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाना एक तर्क संगत कदम है । इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 की धारा 15 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर वर्तमान में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 की धारा 2 में संशोधन हेतु विधेयक प्रस्तावित है ।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि राज्यहित में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा बहाल करने के लिये इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017 स्वीकृत हुआ ।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री,शिक्षा विभाग ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017 पर विचार हो । "

अध्यक्ष : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(।) के तहत माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।"

अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी लगता है कि सरकार बहुत जल्दीबाजी में है और बजट सत्र में मंत्री जी ने पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक लाया था तो हमको लगता है कि मंत्री जी को या सरकार को इस विषय पर ध्यान नहीं आया कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है और बिहार सरकार के पूर्व अधिकारियों को इस में बैठना चाहिए और हमारे जो पूर्व प्राचार्य हैं, उन को भी शिक्षकों की भांति उन की सेवा कर देनी चाहिए । तो लगता है कि पता नहीं एक महीने के अंदर कौन-सी ऐसी गतिविधि हो गयी कि यह सरकार फिर से लालकेश्वर और परमेश्वर के रास्ते जाना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह सरकार ऐक्ट कर रही है, मुझे इस बात का भय है कि कहीं सरकार एक्सीडेंट के रास्ते तो बढ़ नहीं रही है क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का

हाल है, अब लोगों ने राजेन्द्र बाबू का बिहार कहना बंद कर दिया है । इसलिए बिहार का एक नागरिक होने के नाते भी मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध होगा एक समय था जब कोई पटना विश्वविद्यालय से पास होता था तो वह बड़ा ही गर्व से कहता था कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं । अब तो लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि एम0बी0बी0एस0 फॉम पैट, एम0एस0सी0 फौम पैट । ताकि लोग समझे कि पटना नहीं पटियाला से पढ़कर ये आये हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह होगा कि बिहार की अस्मिता को बचाने के लिये जिस प्रकार से राज्य सरकार पटना विश्वविद्यालय पर कब्जा करने के लिये बिहार सरकार के पूर्व अधिकारियों को कुलसचिव के पद पर बैठना चाहती है, मुझे अंदेशा है कि कहीं फिर तो हम उसी रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि जी0एस0टी0 की आड़ में पटना विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया जा रहा है, यह सर्वथा गलत है । इसलिए सरकार इस पर विचार करे और यह विधेयक सरकार तत्काल वापस करे ।

टर्न-7/राजेश/24.4.17

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारी: मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी युगद्रष्टा हैं और आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी कभी महाराष्ट्र जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, दूसरे-दूसरे राज्यों में जा करके बिहार के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और यह हमलोगों को अच्छा भी लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित भी हैं और माननीय मंत्री जी चिंतित भी हैं, तो पटना विश्वविद्यालय की अस्मिता को पुन: बहाल करने के लिए मेरा आग्रह होगा कि यह बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है, इससे जहॉं प्राचार्य आक्रोशित हैं,वहीं पर जो डिमौस्ट्रेटर हैं, वे आक्रोशित हैं और जो पूर्व अधिकारी हैं, वे इस ताक में बैठे हैं कि हमें कब मेवा खाने का मौका मिल जाय, इसलिए महोदय मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार की सरकार से, कि इसे 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाय और उसके बाद इसपर निर्णय लिया जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष प्रश्न यह है कि:

''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खण्ड-2 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ।

यह मूव नहीं हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-3 में एक संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अनिल सिंह: मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''विधेयक के खण्ड-3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''सेवानिवृत्त'' के स्थान पर शब्द समूह ''अपर समाहर्ता के स्तर के'' तथा पांचवीं पंक्ति के शब्द समूह ''एक या एक'' के स्थान पर शब्द समूह ''दो या दो'' प्रतिस्थापित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यही पहले भी कहा था कि युवा पीढ़ी के पदाधिकारी कहाँ जायेंगे । इसलिए सेवानिवृत्ति के स्थान पर कंटिन्यूटी में जो पदाधिकारी हैं, उनको पदस्थापित किया जाय । महोदय, अभी अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राचार्य का पद भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद होता है, तो कुलसचिव का पद भी प्रशासनिक होता है । ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर की हकमारी सरकार कर रही है । मैं इस संबंध में सरकार से अनुरोध करुंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करे ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''विधेयक के खण्ड-3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द ''सेवानिवृत्त'' के स्थान पर शब्द समूह ''अपर समाहर्त्ता के स्तर के'' तथा पांचवीं पंक्ति के शब्द समूह ''एक या एक'' के स्थान पर शब्द समूह ''दो या दो'' प्रतिस्थापित किया जाय ।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बने'' ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खण्ड-4 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बने'' ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने'' ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने'' ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''नाम इस विधेयक का अंग बने''।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, सरकार हिन्दी में नहीं समझ रही है, इसलिए अब अंग्रेजी में बताना पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह होगा कि जब बिल लाया जा रहा है और ऑर्डर पेपर जो मिला, वह हमलोगों को परसों रात्रि में 12.00 बजे मिला और कल 1.00 बजे तक ही संशोधन देने का था । हमारे सारे माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में थे । इसलिए हम आग्रह करेंगे कि भविष्य में सरकार इस बात की चिंता करे । कुछ हमारे सदस्यों को रात्रि 3.00 बजे मिला । इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि भविष्य में जब भी विधेयक लाए, तो कम से कम प्रतिपक्ष के लोग उसको बढ़िया से पढ़ सके, उसको समझ सके और अपनी बातों को रख सके । इसमें बहुत से हमारे माननीय सदस्य छूट गये हैं । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी और माननीय अरुण बाबू कह रहे थे कि हमलोगों को मौका ही नहीं मिला संशोधन देने का, तो इसलिए आगे से सरकार इस बात का ख्याल रखे और महोदय, अगर हम पढ़ेंगे तो लगभग आधा घंटा का समय लग जायेगा । इसलिए हम संक्षेप में कह देना चाहते हैं । हमने कहा था उस समय भी और मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि ....

(व्यवधान)

अध्यक्षः कम समय में भी आपकी तैयारी तो है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः हम संक्षेप में कह देते हैं, शौर्ट में कह देते हैं । महोदय, पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो आया है, उसमें माननीय प्रधानाचार्यों के साथ-साथ जो डिमौस्ट्रेटर है, उनको भी शिक्षक श्रेणी में सम्मिलित कर संविधान के अनुच्छेद-14 में भी प्रावधानों का पालन का आग्रह किया था और महोदय, देश के माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और राज्य सरकार के द्वारा जो पास हुआ था महोदय, वह एक हिस्सा बन जाय ।

(माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कागजात - परिशिष्ट-3 द्रष्टव्य)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ले लीजिये ।

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल : ताकि लोग कहें कि हमलोगों ने तो सरकार का ध्यान आकृष्ट तो कराया था, इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इसपर विचार करे और मैं अपने प्रस्ताव को रख रहा हूँ सदन में कि फिर से एक बार विचार करें कि जो बातें हमलोगों ने कहा है, जो बातें माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह जी और श्री मिथिलेश तिवारी जी ने कहा है, जो चर्चा की है, उसपर आप पुनः विचार करें ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/24-4-17

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और पटना विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक दोनों एक तरह का ऐक्ट है । सिर्फ पटना विश्वविद्यालय एक डिफरेंट ऐक्ट से बना है । इसलिए दोनों का औचित्य एक है । हम सिर्फ विपक्ष के लोगों से कहना चाहेंगे कि सरकार की नीयत इस प्रदेश में उच्च शिक्षा को सशक्त, अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा को सशक्त, करना है और रजिस्ट्रार का जहां तक सवाल है उच्च शिक्षा में जितने फैकल्टीज हैं, वे एक important रोल अदा करते हैं । उनसे गहन चिन्तन के बाद इस निर्णय पर हमलोग पहुंचे हैं कि रजिस्ट्रार के Appointment में हमलोग बासा के जो रिटायर्ड अफसर हैं, उनको लिया जाय इसलिए कि हमारा जितना भी अभी जितने भी हमारा यूटिलाईजेशन है जितना भी हमारा डेटा बेस है, कहीं हमारा कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है। बासा के पदाधिकारी Administrative एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से स्किल्ड रहते हैं और टीचर के पास ये Administrative skilled नहीं रहता है जिसके कारण सरकार बार-बार ये मानती है कि समस्या हो रही है ओपोजिशन सिर्फ इसलिए कि सरकार मूव कर रही है इसलिए हमको उसका विरोध करना है यह उचित नहीं है, निर्णय भी करना चाहिए कि सरकार की नीयत क्या है सरकार चाहती क्या है? जहां तक रजिस्ट्रार के Appointment का सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस रजिस्ट्रार में रिटायर्ड अफसर को लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हम यूनिवर्सिटी को Administrative रूप से skilled कर सकें । आप बार-बार देखते होंगे कि यूनिवर्सिटीज में परेशानियां होती है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है जो हमारा रजिस्ट्रार है वह को-ऑर्डिनेट नहीं कर पाता है Administrative के साथ इसीलिए बासा के पदाधिकारी का नीयत सरकार का है कि हम यूनिवर्सिटी को Administrative रूप से Skilled कर सकें और जहां तक शिक्षक के प्रिंसिपल का है तो शिक्षक को तो मेन अर्हता ही है 15 साल, 10 साल आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि Have to be a teacher और How can a teacher/principal become a non teaching staff तो इसीलिए हमने उसमें सुधार किया है, ये दोनों सरकार का उच्च शिक्षा में सशक्त और मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने के लिए प्रस्ताव है इसलिए हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि सर्वसम्मति से इसको पास किया जाय।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री मदन मोहन झा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री।

श्री मदन मोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री मदन मोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष: बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(।) के तहत माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी: मूव करेंगे महोदय।

अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 के सिद्धांत पर विमर्श हो।''

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि भूअर्जन के मामले में सरकार अनुमानित मुआवजा की राशि का 80 प्रतिशत भुगतान कर भूमि का भौतिक दखल-कब्जा ले लेती है । विवाद की स्थिति में विधेयक में प्रावधान किया गया है कि धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भूमि का दखल कब्जा की तिथि से समयावधि तक 12 प्रतिशत ब्याज भूमि के बाजार मूल्य पर देय होगा। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि समयावधि का निर्धारण अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक किया जाय और अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से वास्तविक और अंतिम भुगतान की तिथि तक जो किसान का पैसा बकाया हो उस पर 12 प्रतिशत व्याज दर फिक्स किया जाय, क्योंकि इसमें भूस्वामी का कोई दोष नहीं होता है महोदय । इसलिए महोदय चूंकि बिहार एक गरीब राज्य है और यहां के लोगों की अगर सबसे महत्वपूर्ण सम्पति है तो भूमि है और भू-अर्जन कितना कठिन कार्य है यह सभी जानते हैं इसलिए जब कोई भी भूमि अगर उसकी अधिसूचना हो जाय तो दखल कब्जा को न आधार बनाकर अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से अंतिम भुगतान के तिथि तक और उनका जो भुगतान है उस पर 12 प्रतिशत ब्याज फिक्स किया जाय महोदय ये मेरी सरकार से मांग है ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष: अब जनमत जानने का प्रस्ताव । माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री मिथिलेश तिवारी: जी महोदय, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 दिनांक 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।''

महोदय, मूल विषय वही है। महोदय, बिहार में कई जगह हमने देखा है चाहे एस0एस0बी0 का मामला हो एस0एस0बी0 के लिए जितने भी भूमि का अधिग्रहण होता है भारत सरकार पैसा दे देती है और राज्य सरकार के अधिकारी लेकर बैठे रहते हैं और किसान उसके लिए दौड़ता रहता है महोदय राज्य में हर जगह यही स्थिति बहुत सारी सरकार की मंशा है कि जल्दी उसका अधिग्रहण हो जाय लेकिन होता नहीं है इसलिए महोदय किसान को इसका नुकसान न हो और अधिकारी को इसका भय हो कि समय पर जो भूस्वामी है उनको मुआवजा की राशि मिल जाय इसलिए मेरी इसमें भी सरकार से मांग है कि इस मामले को इस प्रस्ताव को यह जो सरकार ने विधेयक

लाया है इसको 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाय और उसके बाद इसको पास किया जाय ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 31 मई, 2017 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ ।

खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री ।

श्री मदन मोहन झा,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार(बिहार संशोधन)विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

टर्न-9/मधुप/24.04.17

अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे !

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है - भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017, जैसा कि माननीय सदस्य मिथिलेश तिवारी जी ने चिन्ता अभी व्यक्त की है, आये दिन देखा गया है कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं होता है । सरकार जो कहती है, जो कागज पर हमलोग देखते हैं, जमीन पर नहीं देखते हैं ।

उसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ । सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया कि किसानों को अब धान क्रय करने पर 24 घंटा के अंदर भुगतान करेंगे। मुझे काफी खुशी हुई लेकिन जब मैं घूम रहा था, बिहार के दौरे पर था तो किसानों ने कहा कि 20 दिन से पैसा ही नहीं मिला है । हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो भी विधेयक आ रहा है, जो कानून बनाये जा रहे हैं, वह जमीन पर उतरना चाहिये । विगत वर्षों में देखा गया है कि राज्य के हित में आधारभूत संरचनाओं के और लोकहित के कई परियोजनाएँ जो बिहार में चल रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है ।

निश्चित तौर पर माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ने जिन बातों की चर्चा की है, हम चाहेंगे कि उन बातों पर माननीय मंत्री का जवाब हो, एक अच्छी व्यवस्था बने ताकि आने वाले समय में किसानों को और जो भू-स्वामी हैं, उनको कठिनाई न हो, सरकारी दफ्तर का उन्हें चक्कर नहीं लगाना पड़े और समय पर उन्हें राशि का भुगतान हो ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसमें कोई न कोई उद्देश्य होता है । माननीय सदस्य मिथिलेश जी और माननीय नेता विरोधी दल, प्रेम कुमार जी ने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूँ कि यह जो पहले का विधेयक है, उसमें 80 प्रतिशत भुगतान के बाद जो 20 प्रतिशत रह जाता था उसके संबंध में कोई स्पष्ट निर्देशन नहीं था । उसी का फायदा उठाकर कई भूपति लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो

न्यायालय में चले गये और जहाँ 100 करोड़ का भुगतान सरकार को करना था, वहाँ 12 हजार करोड़ का भुगतान उसको देय हो गया । उसी का फायदा कुछ भूपति लोग उठाते हैं । माननीय सदस्य और माननीय नेता विरोधी दल ने गरीब किसानों की बात की है, निश्चित रूप से यह जो सरकार है वह गरीबों के लिये सोचती है और इस विधेयक को लाने से सिर्फ गरीब को ही फायदा होने वाला है क्योंकि सिर्फ 2-4 प्रतिशत लोग हैं जिनकी जमीन गयी है और वह न्यायालय का शरण लेकर या जो भी स्थिति हो, उससे फायदा ले रहे हैं जिससे लाखों करोड़ रूपया सरकार का नुकसान होने वाला है और किसी न किसी रूप से वह सारा बोझ यहाँ की जनता पर पड़ेगा । इसलिये सरकार चिन्तित होकर और काफी सोच-विचार करके यह विधेयक लायी है । मैं समझता हूँ कि यह गरीबों के लिये और बिहार की जनता के हित में है । इसलिये प्रेम कुमार जी का जो सुझाव है और मिथिलेश जी का जो सुझाव है, हम समझते हैं कि वही सुझाव है जो इसमें वर्णित है । इसलिये मैं उनसे आग्रह करता हूँ, सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाय ।

(माननीय मंत्री का उपलब्ध कराया गया लिखित वक्तव्य-परिशिष्ट-4 द्रष्टव्य)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब आलम जी, आप पहले बोलते नहीं हैं, सरकार का जवाब हो गया । अब बोलियेगा तो उसपर कौन बोलेंगे ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017 स्वीकृत हुआ ।

शोक प्रकाश

स्वर्गीय नरसिंह बैठा

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री नरसिंह बैठा जी का निधन दिनांक 12 अप्रील, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय बैठा पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957, 1962, 1967, 1969, 1972 एवं 1977 में तथा वर्ष 1985 में शिकारपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य एवं बिहार राज्य पंचायत परिषद् के अध्यक्ष थे । वे समाज के शोषित, पीड़ित एवं उपेक्षित जन समुदाय के लिए सदैव संघर्षरत रहते थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करेंगे ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक-संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट–1

बिहार माल एवं सेवा कर विधेयक

- सम्पूर्ण राष्ट्र में वर्तमान में लगाये जा रहे अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था काफी जटिल है एवं इसके अधीन हो रहे cascading (चुकाये गये कर पर पुनः कर का अधिरोपण) के कारण यह कुछ हद तक अनार्थिक भी है।
- अप्रत्यक्ष करों की इस व्यवस्था की जड़ को वास्तव में अंग्रेजों द्वारा England में निर्मित कपड़े को भारतीय बाजार में, भारत में निर्मित कपड़े से सस्ता करने के उद्देश्य से भारतीय उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के अधिरोपण में देखा जा सकता है।
- Government of India Act, 1935 के अधीन राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर कर अधिरोपित करने का अधिकार प्राप्त हुआ एवं इस अधिनियम द्वारा प्रस्तावित कर व्यवस्था में कुछ सुधार करते हुए इसे आज तक लागू किया जाता रहा है।
- इस व्यवस्था के अंतर्गत मालों एवं सेवाओं पर लगाये जा रहे करों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कठिनाईयाँ महसूस की जा रही हैं–
    * कई प्रकार के कर,
    * विभिन्न तरीकों से भिन्न–भिन्न स्तरों पर लगाये जाने वाले कर,
    * केन्द्र एवं राज्यों द्वारा अलग–अलग परिस्थितियों में अधिरोपित किया जाना,
    * वस्तु अथवा सेवा पर एक बार लगाये गये कर पर पुनः कर का अधिरोपण (cascading),
    * उक्त के कारण सम्पूर्ण व्यवस्था से पारदर्शिता का समाप्त होना,
    * करदाताओं पर ऐसे करों के अनुपालन का भारी बोझ सृजित होना
    * कर प्रशासन तंत्र पर भी इन करों के प्रशासन का भार सृजित होता है।

- अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों एवं केन्द्र सरकार के समेकित प्रयास से इस व्यवस्था को एक नई, सरल एवं पारदर्शी व्यवस्था से बदलने का निर्णय लिया गया।
- प्रस्तावित नई व्यवस्था के अधीन ऐसे विभिन्न करों को समेकित करते हुए एक नया कर यथा– माल एवं सेवा कर सभी राज्यों एवं केन्द्र द्वारा एक साथ, एक रूप में मालों एवं सेवाओं के सन्दर्भ में लगाया जा सके।
- इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए सर्वप्रथम संविधान में 101वाँ संशोधन किया गया जिसका अनुसमर्थन करने में बिहार अग्रगणी राज्य था।
- संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में ऐसे सामर्थ्यकारी प्रावधान किये गये जिससे एक समेकित कर लगाने की शक्ति केन्द्र एवं राज्यों को प्राप्त हो।
- इसके पश्चात्, केन्द्र एवं राज्यों के आपसी सहभागिता से जी०एस०टी० विधायन की रूप–रेखा तैयार की गई एवं इसके साथ ही सम्पूर्ण विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया गया।
- जी०एस०टी० के स्वरूप एवं इसके ढांचे के निर्माण, इस नये कर की रूप–रेखा तैयार करने तथा माल और सेवा कर विधेयक के ड्राफ्टिंग बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- उक्त विधेयक प्रारूप को केन्द्रीय संसद द्वारा पारित किया गया एवं अब यह अधिसूचित भी हो गया है।
- बिहार माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 भी अखिल भारतीय स्तर पर सहमत प्रारूप पर आधारित है। इसके विधायन के पश्चात् इसे उस तिथि से लागू किया जाना है, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
- बिहार माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 के मुख्य अंश–
  - →विधेयक में बिहार में मालों एवं सेवाओं के आपूर्तियों पर करारोपण तथा इनके विमुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।
    - इसके अधीन इनपुट कर के सामंजन तथा इसकी उपलब्धता के प्रावधान भी हैं। ऐसे प्रावधान इस प्रकार

बनाये गये हैं कि कर का अधिरोपण उस राज्य में हो सके जिसमें ऐसे मालों एवं सेवाओं का उपभोग किया गया है।

- ऐसे कर के भुगतान का समय निर्धारित करने तथा कर भुगतान के लिए आवश्यक मालों एवं सेवाओं के मूल्यांकन के प्रावधान भी इस विधेयक में किए गए हैं।

→छोटे व्यवसायियों को इस कर की बारीकियों से अलग रखे जाने हेतु ऐसे व्यवसायियों के लिए समाहितीकरण **(compounding)** के प्रावधान विधेयक में रखे गये हैं।

→विधेयक में इस कर के उद्ग्रहण के लिए आवश्यक निबंधन कराये जाने, विवरणी दाखिल करने, इस कर का भुगतान करने तथा इस कर के वापसी, यदि आवश्यक हुआ तो, के प्रावधान भी किए गए हैं।

→इसके अतिरिक्त, विधेयक में कर के निर्धारण तथा निर्धारण के क्रम में उत्पन्न किसी विवाद के निपटारे के लिए अपील प्राधिकारी तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय अधिकरण के गठन के सम्बन्ध में भी प्रावधान किए गए हैं।

→कर अपवंचना की रोक–थाम के लिए निरीक्षण तथा अंकेक्षण जैसे निरोधात्मक प्रावधान भी विधेयक में किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विधेयक के प्रावधानों को क्रियान्वित किए जाने के लिए आवश्यक नियमावली के निर्माण की शक्तियाँ सरकार को प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रावधान भी विधेयक में किए गए हैं।

○ विधेयक के प्रावधानों के लागू होने के पश्चात् सम्पूर्ण भारत में अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था में सरलता एवं पारदर्शिता आयेगी, **cascading** के कारण वर्तमान में सृजित हो रहे कर के भार में कमी होगी, भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी तथा भारतवर्ष को एक साझा बाजार के रूप में विकसित किये जाने में सहायता मिलेगी।

- जी०एस०टी० से बिहार को लाभ होगा क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी है जिसके अधीन खपत पर ही कर लगाया जायेगा एवं बिहार मुख्य रूप से ऐसा आयातक राज्य है, जिसमें खपत का परिमाण भी अच्छा–खासा है।
  - विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि **e-commerce** के माध्यम से मंगाये गये मालों पर कर कहीं भी संग्रहित हो, उपभोक्ता यदि बिहार का है तो वह कर राज्य को अंतरित होगा।
  - इस व्यवस्था के अधीन सेवाओं पर करारोपण का अधिकार राज्यों को प्राप्त होने से **Telecom, Banking, Insurance,** अन्य **Financial Services** तथा रेल एवं सड़क मार्ग से परिवहन जैसी प्रमुख सेवाओं पर राज्य को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो पायेगी।
  - अन्य सभी सेवाओं पर भी राज्य को कर प्राप्त होगा जो वर्तमान में नहीं हो रहा है।
  - जी०एस०टी० के अधीन अखिल भारतीय स्तर पर तैयार की जा रही **common portal** पर सभी व्यवसायियों को विवरणी दाखिल करने की बाध्यता के कारण राज्य में आने वाले मालों पर कर की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
  - जी०एस०टी० के अधीन परिवहन के लिए आवश्यक दस्तावेज **common portal** के माध्यम से ही जारी किए जाने के कारण ऐसे परिवहन का प्रभावी रूप से अनुश्रवण संभव हो पायेगा एवं गंतव्य/खपतकर्ता राज्य को इस पर किसी अन्य राज्य में वसूले गये कर की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

परिशिष्ट–2

बिहार विधानसभा के विशेष सत्र (24 अप्रैल 2017) के अवसर पर भाकपा-माले का वक्तव्य

कारपोरेट घरानों को कर में छूट और आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने वाला है जीएसटी बिल.

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर भूमि व आवास समस्या पर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए सरकार

पटना 24 अप्रैल 2017

जीएसटी बिल पर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. हमारी पार्टी की मांग थी कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर भूमि व आवास की समस्या पर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए. लेकिन इसमें न तो भाजपा की और न ही नीतीश सरकार की कोई दिलचस्पी है.

हमारी पार्टी जीएसटी बिल का कड़ा विरोध करती है और इसे वापस लेने की मांग करती है. यह बिल एक तरफ कारपोरेट घरानों को विभिन्न प्रकार के करों में भारी छूट देने वाली है, तो दूसरी ओर आम जनता, मध्यवर्ग और कामकाजी समुदाय पर करों का भारी बोझ लादने वाली है. इसकी वजह से पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता का जीवन और संकटग्रस्त हो जाएगा. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा विरोधी वोट से सत्ता में आई महागठबंधन सरकार देश में पहली गैर भाजपा सरकार साबित हुई, जिसने पिछले वर्ष ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस संबंध में प्रस्ताव ले चुकी है. उस वक्त भी हमारी पार्टी ने इस बिल का कड़ा विरोध किया था और आज भी कर रही है.

यह वर्ष चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का है. आप सभी जानते हैं कि आज से ठीक सौ साल पहले गांधी जी के नेतृत्व में जो सत्याग्रह चंपारण में आरंभ हुआ, उसमें भूमि का सवाल केंद्रीय विषय था. लेकिन आज जब केंद्र व राज्य सरकार सत्याग्रह शताब्दी का आयोजन कर रही है, तो उसके मूल तत्व को ही समाप्त कर दिया है.

चंपारण सत्याग्रह के समय किसानों को यह बताया गया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जमींदारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और ग्राम स्वराज कायम होगा. इसलिए पहले अंग्रेजों से लड़ा जाए. किसान-मजदूर खूब लड़े. देश आजाद हुआ, जमींदारी का उन्मूलन हुआ. लेकिन आज तक बिहार में भूमि सुधार नहीं हो सका है. अंग्रेजी राज के जमींदारी अवशेष बने हुए हैं. जिसे नीतीश सरकार द्वारा गठित डी. बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली भूमि आयोग ने भी कहा है कि ''चंपारण में तो आज भी जमींदारी राज कायम है''. जिसे हम एक तरफ विलासपुर, शिकारपुर, डुमरिया, रामनगर जैसे इस्टेटों, बड़े सामंतों और चीनी मिल मालिकों के पास हजारों-हजार एकड़ भूमि के संकेन्द्रण के रूप में तो दूसरी तरफ-रोजी-रोटी के लिए पलायन, घोर दरिद्रता और भूमिहीनता के रूप में देखते हैं.

आज चंपारण में हरिनगर चीनी मिल, गवन्हा और बहुअरवा फार्म सीलिंगवाद में सुप्रीम कोर्ट तक से हार चुका है. उसकी 5200 एकड़ जमीन अधिशेष घोषित हो चुकी है. इस तरह भूमि आयोग की सिफारिश के अनुसार भूपतियों द्वारा चोरी की गयी बिहार के 21 लाख एकड़ जमीन में प. चंपारण की एक लाख सैंतीस हजार एकड़ जमीन है. जिसको भूमि आयोग की सिफारिश लागू करके ही सरकार हासिल कर गरीबों में बंटवारा कर सकती है. अन्यथा वर्तमान भूमि सुधार कानून के छिद्रों का इस्तेमाल कर भूमि चोर अपनी जमीन बचाते रहेंगे. पूर्वी चंपारण में लगभग 1 लाख एकड़ जमीन है और बेतिया महाराज की 3.5 लाख एकड़ जमीन का तो कोई अता-पता ही नहीं है.

आज 100 साल बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में पुन: कंपनी राज कायम किया जा रहा है. खेती में घाटा और भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर मोदी सरकार किसानों की जमीन छीन कर कंपनियों को देने की दिशा में बढ़ रही है. यहां चंपारण में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसान-मजदूरों की लूट जारी है. चीनी मिलों के फार्म मे दादनी प्रथा के जरिए बंधुआ मजदूर बनाकर 60 रु. (न्यूनतम मजदूरी का घोषित रेट 197 रु. है) में 10-12 घंटे महिलाओं-बच्चो को खटाया जा रहा है. रामनगर और बगहा-2 प्रखंड के सैकड़ो गांवों में मजदूरी देने की हटही प्रथा कायम है.

आज जब चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, तब मजूदरों-किसानों के भूमि और अन्य अधिकारों को पूरा करने के बदले नीतीश सरकार पूरे बिहार की तरह चंपारण में भी गरीबों को जमीन से बेदखल कर रही है. अभी गांधी जी के भितरहवा आश्रम के पास के गांव पिपरा में लालमती देवी और सेमरी-डुमरी में जयनाथ मांझी समेत कई घरों को उजाड़ दिया गया. दोनों मामले में जिला प्रशासन ही जमींदारी कानून चला रहा है. इसकी जांच के लिए जानेवाले भाकपा (माले) राज्य सचिव के कार्यक्रम को जिला प्रशासन द्वारा शिकारपुर इस्टेट के कहने पर रोक दिया गया. उधर, मैनाटांड़ में जिला प्रशासन गरीबों को जमीन से बेदखल करने के लिए अपने स्वंय के फैसले को हाईकोर्ट का फैसला बताकर गरीबों पर दमन चला रहा है. चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को नीतीश शराबबंदी और पर्यटकीय वर्ष तो मोदी सरकार इसे स्वच्छाग्रह वर्ष बनाने की बात कर रही है.

चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी और मोतिहारी में मजदूर-किसानों पर पुलिस फायरिंग

जिस समय चंपारण सत्याग्रह के नाम पर मोदी-नीतीश सरकार का ढकोसला चल रहा है, ठीक उसी वक्त मोतिहारी में बिड़ला परिवार के बंद पड़े चीनी मिल के समक्ष बकाये मजदूरी की मांग कर रहे मजदूरों और किसानों के संयुक्त धरने पर मोतिहारी जिला प्रशासन द्वारा पुलिस फायरिंग की जा रही है. सौ साल पहले यदि चंपारण में नीलहों का शासन था, तो आजादी के बाद से वहां मिलहों का राज है. मोदी-नीतीश चंपारण सत्याग्रह के साथ मजाक नहीं तो और क्या कर रहे हैं?

2000 में ही बिड़ला परिवार की मोतिहारी चीनी मिल बंद हो गयी, लेकिन उसमें तकरीबन 100 मजदूरों की मजदूरी और 200 किसानों के गन्ना का बकाया मूल्य आज तक उन्हें नहीं मिल सका है. मजदूरों की मजदूरी का बकराया 43 करोड़ और किसानों का 17 करोड़ है. मजदूर-किसानों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मिल मालिकों को बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि चीनी मिल ऐसा नहीं करते तो प्रशासन उसकी जमीन जब्त कर मजदूर-किसानों का बकाया अदा करे. असली, कहानी अब देखिए. जब प्रशासन चीनी मिल की जमीन को मजदूर-किसानों के बकाये के भुगतान के लिए अधिग्रहित करने चला, तो पता चला कि वह जमीन बिड़ला की नहीं बल्कि बिहार सरकार की है. ऐसे में उस जमीन की नीलामी कैसे हो सकती है? अर्थात चीनी मिलों को बिहार सरकार हजारो एकड़ जमीन मिट्टी के भाव उपलब्ध करा सकती है, लेकिन गरीबों को रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन नहीं दे सकती है.

लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान मोदी ने अपने प्रचार के दरम्यान कहा कि अगली बार जब वे मोतिहारी आएंगे तो इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीयेंगे. लेकिन आज तक चीनी मिल के दरवाजे बंद ही पड़े हैं और भाजपा के लोग स्वच्छाग्रह का आनंद ले रहे हैं.

पिछले 7 अप्रैल से मोतिहारी मिल के गेट पर मजदूर-किसानों ने धरना देना शुरू किया. लेकिन जब बिहार सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, तब दो धरनार्थियों नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने आत्मदाह कर लिया. (दोनों की मृत्यु हो चुकी है). संवेदनहीन प्रशासन धरनार्थियों की मांग पर कार्रवाई करने की बजाए उलटे दमन पर उतारू हो गयी. डीएम, एसपी और एसडीओ धरनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने धरनार्थियों को चारो तरफ से घेरकर लाठियां चलानी शुरू कर दीं, आंसू गैस के गोले छोड़े और फायरिंग की. जिसमें तीन लोग बुरी तरह घायल हो गये.

आज जरूरत इस बात की है कि सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल वास भूमि देने, बसे गरीबों को जमीन का पर्चा देने, नया शहरी भू-हदबंदी कानून बनाने, सभी शहरी गरीबों को वासभूमि-आवास देने, बिना वैकल्पिक वास-आवास के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने, दलित-गरीबों के दखल-कब्जा की जमीन का पर्चा देने, वनाधिकार कानून के तहत जंगल के तमाम वाशिन्दों को भूमि का कानूनी हक देने, बटाईदारों का निबंधान करने व तमाम सरकारी सुविधा देने, सिकमी बटाईदारों की बेदखली पर रोक लगाने, सिकमीदारों को पुश्तैनी हक देने, अनुपस्थित जमींदारों की जमीन पर बसे गरीबों को लीज देने आदि मांगों के सवाल पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए.

साथ ही, हम यह भी देख रहे हैं कि आए दिन पटना की सड़कें आंगनबाड़ी, आशाकर्मी, शिक्षक, छात्र-नौजवानों के आंदोलनों से अटी पड़ी है, लेकिन सरकार उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है. उनकी मांगों को सुनने की तो बात दूर, उनके उपर बर्बर तरीके से दमन ढाया जा रहा है. ये आज हमारे राज्य के महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसपर विधानसभा में चर्चा आयोजित होनी चाहिए.

महबूब आलम . 24.4.17 .

महबूब आलम, नेता, विधायक दल, भाकपा-माले

सुदामा प्रसाद, विधायक, भाकपा-माले

सत्यदेव राम, विधायक, भाकपा-माले

परिशिष्ट–3

पत्रांक –2/पी 8–41/2003 . 1115
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग
बिहार, पटना

S.O. BSC
Put up immediately in file
16/6/06

प्रेषक,
अमरेन्द्र नारायण सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,
कुल सचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

पटना, दिनांक 14.6.06

विषय:–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 7021/99 एवं 7022/99 सिविल अपील संख्या 4215–16/2002 मे. दिनांक 22.07.2002 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों एवं घाटानुदानित (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायक/कनीय प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला तकनीशियन/तकनीकि सहायकों को प्रयोग प्रदर्शक (Demonstrator) पदनामित (री डेजिगनेट) करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4215–16/2002 मे दिनांक 22.07.2002 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु बिहार के सभी विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत तथा घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में पत्र निर्गत की तिथि तक विधिवत् रूप से सृजित पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत प्रयोगशाला सहायक/कनीय प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकि सहायक जो नियुक्ति के समय संबंधित विषय में स्नातक योग्यता (प्रयोग प्रदर्शक के आर्हता के समतुल्य) धारित करते हैं, को उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रयोग प्रदर्शक का पदनाम एवं स्वीकृत वेतनमान देते हुए प्रयोग प्रदर्शक के पद पर पदनामित (री डेजिगनेट) करने की स्वीकृति प्रदान की है ।

2. स्नातक प्रयोगशाला सहायक/कनीय प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला तकनीशियन/तकनीकि सहायक पदनाम के विरूद्ध कार्यरत कर्मी जो प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित होगें, उन पदों पर भविष्य में नई नियुक्तियाँ नहीं की जायेगी बल्कि पदधारकों की प्रोन्नति उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु/पदत्याग या अन्य किसी कारणों से पदरिक्त होने के साथ ही प्रयोग प्रदर्शक के पद स्वतः समाप्त हो जाएगें तथा प्रयोगशाला सहायक/कनीय प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला प्रभारी/प्रयोगशाला तकनीशियन/तकनीकि सहायक के मूल पद पुनः शिक्षकेत्तर कर्मचारी की कोटि में रह जायेंगे ।

Compared with

attested
18/08/09

18/06/06

Principal
A. M. College, Gaya

3. उपरोक्त पदनामों से कार्यरत कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित होने के फलस्वरूप प्रयोग प्रदर्शक पद की सारी सुविधाएँ एवं प्रोन्नति संबंधी लाभ कार्यरत कर्मियों को अनुमान्य होगा।

4. इनके प्रयोग प्रदर्शक के पद पर पदनामित करने में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा तथा इनके वेतन का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से स्वीकृत वेतनमान में होगा ।

5. निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, सरकार, पटना को इसकी सूचना दे दी गयी है ।

विश्वासभाजन

(अमरेन्द्र [illegible] सिंह)

सरकार के अवर सचिव

म॰ वि॰ वि॰ बोध-गया

अधिसूचना

ज्ञापांक सं॰ 305/06/GI/06/G दिनांक 21.06.06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, सभी स्नातकोत्तर विभाग, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
2. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, मगध विश्वविद्यालय अन्तर्गत सभी अंगीभूत [illegible] महाविद्यालय।
3. वित्त पदाधिकारी, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
4. प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
5. प्रशाखा पदाधिकारी, वेतन निर्धारण शाखा, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
6. सभी पदाधिकारी, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
7. कुलपति के निजी सहायक, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
8. प्रतिकुलपति/कुलसचिव, के निजी सहायक, म॰ वि॰ वि॰, बोध-गया।
9. [illegible] सभी, मगध [illegible] कालेज, गया।
10. सरकार के अवर सचिव, उ॰ शि॰ (मानव संसाधन विकास, बिहार सरकार, [illegible]

संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना विश्वविद्यालय में अविलम्ब अग्रसारित करें।

कुलपति के आदेशानुसार।

अनुलग्नक:- विवरणी प्रपत्र।

21/6/06

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया।

21/6/06

29/6/06

~~ANNEXURE P-7~~ 175

Annexure - 14

67

Government of Bihar
Human Resources Department

CORRIGENDUM

No. 2/P-8-41/2003/ H.E..1456

The following correction shall be made in the Departmental Letter No. 2/P-8-41/2003-1115/ Dated 14.6.2006; i.e. in the place of "In connection with the aforesaid subject I am directed to say that the State Government, in adherence to the direction of the Hon'ble Supreme Court passed in the Civil Appeal No. 4215-16/2002 dated 22.7.2002, had approved to re-designate the post of Laboratory Assistants/ Junior Laboratory Assistants / Laboratory In-charges/ Laboratory Technicians/ Technical Assistants, who are working in all affiliated, Grant-in-aid, minority colleges of the Universities in Bihar, having degree qualification, appointed against the regularly created posts till the issue of this letter, to be named as Laboratory Demonstrators";

the following will be substituted that "In connection with the aforesaid subject I am directed to say that the State Government, in adherence to the direction of the Hon'ble Supreme Court passed in the Civil Appeal No. 4215-16/2002 dated 22.7.2002 had approved to re-designate the post of Laboratory Assistants/ Junior Laboratory Assistants / Laboratory In-charges/ Laboratory Technicians/ Technical Assistants, who were appointed against the regularly created posts and are working in all affiliated, Grant-in-aid, minority colleges of the Universities in Bihar, till the issue of this letter i.e. till 14.6.2006, having degree qualification (equal to the qualification of the Laboratory Demonstrators) at the time of their appointment, or obtains degree qualification (equal to the qualification of

176

68

the Laboratory Demonstrators) will be re-designated as Laboratory Demonstrators from the date of their appointment or from the date on which he obtains the degree qualification respectively.

2. In the para 4 of the Departmental Letter No. 2/P-8-41/2003-1115/ Dated 14.6.2006, in the place of "Appropriate procedure will be followed for their promotion to the post of Laboratory Demonstrators and their pay scale will be the approved pay scale from the date of their appointment"; the following will be substituted that ""Appropriate procedure will be followed for their promotion to the post of Laboratory Demonstrators and their pay scale will be the approved pay scale from the date of their appointment or from the date of their obtaining the degree".

3. Other conditions shall remain unchanged.

Shiv Prasad
Joint Secretary-cum-Joint Director

Memo No. 2/P-8-41/2003/ 1456 H.E. Patna, Dated : 1.8.2006

Copy to :
Deputy Director of the Higher Education Department, Patna, Registrars of all the Colleges of the State, Secretary, Bihar College Service Commission, Patna, Secretary, Bihar State University (Affiliated Colleges) Service Commission, University Grant Commission, New Delhi, Additional Secretary, Higher Education Department, Principal Government Girls College, Guljarbag, In-Charge, Department of Human resources Department, Patna, Laboratory Assistants/ Junior Laboratory Assistants./ Laboratory In-charges/ Laboratory Technicians/ Technical Assistants of the State Universities, Post-graduation Education Department, Bihar, Principal / Finance Officers of all minorities colleges, Employees' union, President, Bihar Employees Union, Bihar, for information and necessary action.

Shiv Prasad
Joint Secretary-cum-Joint Director

True copy

निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1934 (श०)

(सं० पटना 695) पटना, बृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-18/2012/437/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 22, 2012]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :-चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है,

और, चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के कतिपय प्रावधान में विसंगतियाँ हैं जिस कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियम/ निदेश/अनुदेश के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/रेगुलेशन के अनुरूप इस अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा को भी परिभाषित करना आवश्यक है।

और, चूँकि, राज्य सरकार के पत्रांक 1216, दिनांक 18.09.75 के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) की अनुशंसा के आलोक में प्रयोग-प्रदर्शक का पद समाप्त होने की सूचना देते हुए राज्य सरकार के निम्नलिखित निर्णय को राज्य के विश्वविद्यालयों को संसूचित किया गया है कि दिनांक 01.01.1973

के पूर्व स्वीकृत पदों पर नियुक्त प्रयोग प्रदर्शक पूर्ववत् बने रहेंगे, परन्तु इन प्रयोग-प्रदर्शकों के पद की सेवा-निवृत्ति या अन्य किसी कारण से रिक्ति होने की स्थिति में, भरा नहीं जायगा। दिनांक 01.01.1973 के पूर्व सृजित पदों पर तिथि 18.09.1975 के पूर्व अस्थायी रूप में नियुक्त प्रयोग प्रदर्शकों की योग्यता आदि की जाँचकर उन्हें स्थायी नियुक्ति के योग्य पाये जाने पर उनके स्थायीकरण में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता थी।

और, चूँकि, विभागीय पत्रांक 1789, दिनांक 26.08.1977 में राज्य सरकार के द्वारा मगध विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया था कि भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रयोग प्रदर्शक का पद समाप्त कर दिया गया है, और उन पदों पर अब नियुक्ति नहीं करनी है। इस पत्र में भारत सरकार के निर्णय को निम्नरूप से उद्धरित किया गया था "The revised scale of Rs. 500-900 is for the existing demonstrator/Tutors only. In future demonstrator/Tutors shall not be appointed in the Universities and Colleges."

और, चूँकि, यू०जी०सी० रेगुलेशन 1991 शैक्षिक पद के लिए अर्हता निर्धारित करता है।

और, चूँकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिर्फ त्रि-स्तरीय शैक्षिक पद, नामतः व्याख्याता, रीडर एवं प्राचार्य को मान्यता प्रदान करता है;

और, चूँकि, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में 'शिक्षक' की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव है जिस कारण शिक्षक की योग्यता धारण नहीं करने वाले शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से 'शिक्षक' के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है एवं अस्वीकृत पदों तथा स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर नियुक्त/ कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा सामंजन का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है, अतएव बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण के संवर्धन तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपेक्षाओं के अनुरूप बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के कतिपय विद्यमान संगत प्रावधानों को संशोधित किया जाना अनिवार्य है,

और, चूँकि, माननीय पटना उच्च न्यायालय के राँची खण्डपीठ के द्वारा एल०पी०ए० संख्या-274/1997 (आर) में एकलपीठ के न्यायादेश सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-2176/1996(आर) दिनांक 03.04.1997 को प्रयोगशाला सहायक को शिक्षक के रूप में स्वीकार्य किये गये दावा को खारिज कर दिया है;

और, चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-4215-16/2002 दिनांक 22.07.2002 को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि खण्डपीठ के आदेश में कोई गलती नहीं है। पीठ ने बिल्कुल ठीक ही अवलोकन किया है कि प्रयोगशाला कर्मियों को शिक्षक माने जाने के लिए सामान्य निदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि अर्हता एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रत्येक वादी के मामले पर विचार करने के समय उनके द्वारा धारित योग्यता एवं तथ्यों की अलग से राज्य सरकार के द्वारा सौंपा जाता है। अतः खण्डपीठ के इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कोई त्रुटि नहीं मिलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि प्रयोगशाला कर्मी को शिक्षक घोषित नहीं किया जा सकता।

और, चूँकि, राज्य मंत्रिमंडल के निर्णयोपरांत पत्रांक-1115 दिनांक 14.06.2006 निर्गत किया गया;

और, चूँकि, पत्रांक-1115 दिनांक 14.06.2006 में ज्ञापांक-1456 दिनांक 01.08.2006 के द्वारा परिवर्तन किया गया;

और, चूँकि, दिनांक 18.12.2009 का राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इन कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित सिर्फ वेतनमान और भत्ते के लिए किया गया है न कि उन्हें शिक्षक के रूप में मान्य किये जाने हेतु;

और, चूँकि, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1377/2010 दिनांक 21.09.2010 में कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अन्तर्गत दिए गए शिक्षक के परिभाषा के अधीन पदनामित प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक माना गया है अतः वे सभी लाभ पाने के हकदार हैं;

और, चूँकि, एल०पी०ए० संख्या-981/2011 दिनांक 11.07.2011 के न्याय निर्णय में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तत्कालीन राँची खण्डपीठ के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 14.06.2006 को निर्णय लिया गया कि स्नातक प्रयोगशाला सहायक/ कनीय प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला प्रभारी/ प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीकी सहायक इत्यादि जो अंगीभूत महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में नियुक्त हों को पुर्ननामित प्रयोग प्रदर्शक माना जाय। उक्त

निर्णय में यह विशेष रूप से निर्णय किया गया था कि पुनर्नामित प्रयोग प्रदर्शक भी प्रयोग प्रदर्शक के पद पर दी जानेवाली सभी लाभ के हकदार होंगे।

और, चूँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त LPA के आदेश के विरूद्ध दायर SLP(C) No.-CC- 1324/2012 को शुरू में ही निरस्त कर दिया।

और, चूँकि, "शिक्षक" की परिभाषा में अस्पष्टता एवं त्रुटि के कारण ही शिक्षकेतर पद का पुर्नपदनाम का प्रश्न उत्पन्न हुआ।

और, चूँकि, राज्य मंत्रिपरिषद ने विधिक परामर्श और एल०पी०ए० न्यायालय के आदेश के आलोक में भूल सुधारने का निर्णय लिया और दिनांक 14.06.2006 को निर्गत पत्र तथा दिनांक 01.08.2006 को निर्गत उसके शुद्धि पत्र जिसके द्वारा प्रयोगशाला कर्मियों को प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित करने के निर्णय को राजकीय संकल्प संख्या-608 दिनांक 10.04.2012 के द्वारा वापस लेने का निर्णय लिया गया।

और, चूँकि, शिक्षक को परिभाषित करने में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षकेतर प्रयोगशाला कर्मी जो प्रयोग प्रदर्शक के रूप में पदनामित हैं को पुर्नपदनामित करने की तिथि से शिक्षक की श्रेणी से एल०पी०ए० संख्या-981/2011 और विधि परामर्श के आलोक में अलग रखा जा सके क्योंकि यू०जी०सी० और भारत सरकार प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करते हैं।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. <u>संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ</u> ।-(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 1991 के निर्गमन की तिथि यथा 5 अक्तूबर, 1991 के प्रभाव से प्रवृत समझा जायगा।

2. <u>बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-2 में संशोधन</u> ।- धारा-2 के खण्ड (ब) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(ब) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी "शिक्षक" से अभिप्रेत है, केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/ प्राचार्य, रीडर तथा व्याख्याता के पद एवं यू०जी०सी० के द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियमों में शिक्षक की श्रेणी में स्वीकार किये गये पद;

परन्तु, अधिनियम की धारा-2(ब) में उक्त प्रतिस्थापन के होते हुए भी तिथि 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर तिथि 13.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से कार्यरत 'प्रयोग प्रदर्शक' इस प्रतिस्थापन से प्रभावित नहीं होंगे।

3. <u>अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव</u> ।- अन्य अधिनियम, अध्यादेश, विनिश्च नियम, किसी न्यायालय के निर्णय में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, इस अधिनियम के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-18/2012/438/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

1

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO(S).6178-6181 of 2015

DURGA PRASAD SINGH & ORS Appellant(s)

VERSUS

445480

STATE OF BIHAR & ORS Respondent(s)

WITH

CIVIL APPEAL No(s). 6176-6177 OF 2015

AND

CIVIL APPEAL No.6290 OF 2015

Certified to be true copy

Assistant Registrar(Judl.)

.....................2018

SUPREME COURT OF INDIA

O R D E R

We have heard learned counsel for the parties at great length.

These appeals arise out of challenge to the Bihar State Universities (Amendment and Validation) Act, 2012 (Bihar Act 22 of 2012) which has been upheld by the High Court by the impugned order. We do not find any ground to interfere with the view taken by the High Court in upholding the said Act.

We however make it clear that the present status, rank and pay of the appellants will not be disturbed. If any lab assistant has been given designation of demonstrator, which he continues to hold till date, it will not be withdrawn. They will not be entitled to any further benefits in conflict with the impugned Act.

In view of above, the appeals are disposed of. No costs.

2

Pending applications, if any, shall also stand disposed of.

..............................J.
(ADARSH KUMAR GOEL)

..............................J.
(UDAY UMESH LALIT)

New Delhi,
FEBRUARY 27, 2017.

परिशिष्ट– 4

केन्द्रीय भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–24 में संशोधन के औचित्य से संबंधित आलेख।

राज्य अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं एवं लोक हित से संबंधित परियोजनाओं हेतु पुराने भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–17 के तहत आपात प्रक्रिया अंतर्गत प्रारंभ किये गए भू–अर्जन के ऐसे मामलों, जिसमें अनुमानित मुआवजे राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू–धारियों को भुगतान कर भूमि का भौतिक दखल- कब्जा अधियाची प्राधिकार/निकाय द्वारा ले लिया गया है, लेकिन धारा- 11 के तहत पंचाट का अधिनिर्णय नहीं हुआ तथा इस प्रकार के मामलों के संबंध में दिनांक–01.01.2014 से प्रभावी केन्द्रीय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण ऐसे मामलों में मुआवजा राशि का निर्धारण के बिन्दु पर स्पष्टता, पारदर्शिता, एकरूपता एवं व्यवहारिकता को समाहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–24 में संशोधन कर एक नया परन्तुक जोड़ा जाना आवश्यक समझा गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्यान्तर्गत आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कतिपय परियोजनाओं यथा–रेलवे, राज्य उच्च पथ, औद्योगिक क्षेत्र, इत्यादि के स्थापनार्थ पुराने भू–अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा- 17(1), 17(3) एवं 17(4) के तहत आपात प्रक्रियान्तर्गत भूमि–अधिग्रहण की कार्रवाई की गई। उक्त अधिनियम की धारा–17(3) के तहत अनुमानित मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू–धारियों/रैयतों को भुगतान कर भूमि का भौतिक दखल–कब्जा प्राप्त किया गया। लेकिन अर्जनाधीन/अधिग्रहित भूमि पर अवस्थित संरचनाओं, भवन, वृक्ष इत्यादि का ससमय मूल्यांकन नहीं होने तथा अन्यान्य कारणों से उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत विधिवत् एवं अन्तिम पंचाट का गठन एवं घोषणा निर्धारित अवधि अर्थात अधिघोषणा के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के भीतर नहीं हो सका। ऐसे मामले मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा (पटना), बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ, मोहम्मदपुर–छपरा राज्य उच्च पथ, महाराजगंज मशरख नई रेल लाईन, इत्यादि के लिए किये गये भू–अर्जन में परिलक्षित हुए हैं।

मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा (पटना) हेतु अधिग्रहित भूमि का जिला स्तर से विनिश्चित एवं भुगतान किये गये अधिघोषित पंचाटित मुआवजा राशि को कम मानते हुए हितबद्ध भू–धारियों द्वारा भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के समक्ष मामला दायर किया गया। प्राधिकार द्वारा उक्त मामले की सुनवाई करते हुए भूमि के दर/मूल्य में वृद्धि कर कुल मुआवजा राशि में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोत्तरी कर दी गई है। समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित भूमि का दर/मूल्य 7.05 लाख से लेकर 20.00 लाख प्रति एकड़ है, जबकि प्राधिकार द्वारा इसे 3.5 करोड़ प्रति एकड़ निर्धारित करने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार उक्त परियोजना हेतु कुल मुआवजा राशि 100.56 करोड़ के स्थान पर प्राधिकार द्वारा 12456.7 करोड़ कर दिया गया है। यह राज्य कोष पर अत्यधिक अतिरिक्त वित्तीय भार का मामला बनता है। प्राधिकार के पारित आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय मे सरकार स्तर से अपील दायर किया गया है।

भागलपुर जिलान्तर्गत "सुन्दरवन" हेतु वर्ष 1981 में आपात प्रक्रियान्तर्गत कुल अधिग्रहित भूमि रकवा 23.95328 एकड़ से संबंधित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक–17.08.2015 के तहत निरस्त कर दिया गया है तथा नये सिरे से भू अधिग्रहण का अधिसूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2016 के आदेश में नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act 2013) की धारा–40 के तहत, इस भू अर्जन की कार्रवाई का पूर्व मे आपात प्रक्रियान्तर्गत किये जाने के फलस्वरूप, 75 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि देने का आदेश पारित किया गया है। उक्त परियोजना हेतु कुल मुआवजा की राशि 76.5 लाख विनिश्चित किया गया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश/आदेशों के आधार पर नये सिरे से अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात कुल मुआवजे की राशि 337.00 करोड़ परिगणित की गई है। जबकि वर्ष 1981 में भूमि का भौतिक दखल–कब्जा पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्राप्त किये जाने के उपरांत अधिग्रहित भूमि पर वन विभाग के कार्यालय, अन्य संरचना एवं वृक्ष आदि से आच्छादित कर भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धाराओं के तहत दिनांक–04.09.1990 को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा (पटना) तथा भागलपुर जिलान्तर्गत "सुन्दरवन" के सदृश्य भूमि अधिग्रहण के अन्य कई मामले भी हैं। यदि इन मामलों में भी भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार अथवा अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो परिणामतः राज्य कोष पर एक बहुत बड़ा अतिरिक्त वित्तीय भार, जो एक लाख करोड़ रूपये की राशि से कहीं अधिक होगा, का मामला बनेगा। फलस्वरूप, लोकहित की राज्य की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुकूल नही माना जा सकता है एवं इस प्रकार का प्रतिकर व्यवहारिक तौर पर "उचित प्रतिकर" की श्रेणी में नहीं आयेगा।

लोक हित के परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अंतर्गत प्रारंभ किये गए इस प्रकार के मामलो में भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू किये जाने से एक ही समय पर किये गये वैसे भू अर्जन के मामले जिनमें ससमय सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, से प्रभावित रैयतों को किये गये मुआवजा भुगतान एवं वर्तमान में लंबित मामलों में मुआवजा भुगतान में समानता नहीं रहेगी।

इसके अतिरिक्त उक्त केन्द्रीय भू–अर्जन अधिनियम–2013 की धारा–30(3) के तहत एस0आई0ए0 अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दखल–कब्जा अथवा पचाट, जो भी पहले हो, तक अतिरिक्त 12 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि हितबद्ध भू–धारियो को भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन एस0आई0ए0 अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान पुराने भू–अर्जन अधिनियम, 1894 में नहीं था, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त 12 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि परिगणित करने की तिथि स्पष्ट परिलक्षित नही होती है।

ऐसी स्थिति में स्पष्टता, पारदर्शिता, एकरूपता एवं व्यवहारिकता को समाहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–24 में संशोधन कर उक्त अधिनियम की धारा–24 (2) के नीचे एक परन्तुक जोड़ा जाय।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।